तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/7/25	पत्रावली पेश हुई, वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित । पत्रावलियां अधिक होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी । पत्रावली पूर्ववत दिनांक 17/4/25 को पेश हो ।	
17/4/25	पत्रावली पेश हो। वकील पक्षकारान उप॰। मिसल वास्ते बहस हेतु पत्रा॰ दिनांक 11/6/25 को पेश हो।	
11/6/25	पत्रावली पेश है। वकील पक्षकारान उप॰ है। मिसल वास्ते बहस में पत्रा॰ दिनांक 31/7/25 को पेश हो।	
31 7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी प्रतिवादी उपस्थित/अनु. पीठासीन अधिकारी राज कार्य से मीटिंग शिविर मुख्यालय से बाहर है पत्रावली पूर्ववत दि॰ 24/9/2025 [illegible]	
२५/९/२०२५	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उप॰। प्रार्थना पत्र धारा २१८, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर उभयपक्ष बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बयान करते हुए प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है तथा वाद व प्रार्थना के प्रार्थी व वादी सगे भाई बहन है। अप्रार्थी सं. 2 ने अप्रार्थी 4 से मिलकर उसके हिस्से की Release Deed स्वयं के पक्ष में करवा ली है। अप्रार्थी 4 का 1/6 हिस्सा हक त्याग को अप्रार्थी 2 ने स्वयं के पक्ष में कराया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारी[illegible] जो किस [illegible] तामील में [illegible]
	है जबकि हकत्याग से समस्त सहखातेदारों/ सहस्वामियों के हिस्से में अभिवृद्धि होती है न कि किसी एक के हिस्से में मर्ज होती है। अत: यह अवैध, अनुचित व शून्य है तथा विधित: आरोपित हकत्याग पत्र के माध्यम से अप्रार्थी क्रम 1 के हित में कोई नवीन अधिकारों का सृजन नहीं हुआ है। उक्त रिलीज डीड का अवैध निर्वचन कर नामान्तरण 574 दिनांक 20.5.2019 दर्ज कर लिया गया है जो कि सर्वथा गलत है कमसे कम राजस्व अंकन का लाभ लेकर अप्रार्थी विवादित आराजी को खुर्द-बुर्द करने को आमादा है जिससे प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होने की आशंका है। अत: मूल दावे के निस्तारण तक अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे। अधिवक्ता अप्रार्थी ने तर्कों का खण्डन करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी पैतृक नहीं है बल्कि माँ से पुत्र-पुत्रियों को विरासत में मिली है। अप्रार्थी 4 द्वारा किया गया हकत्याग विधिवत रूप से पंजीकृत हुआ है जो कि अप्रार्थी क्रम 2 के पक्ष में है तथा संयुक्त खाते का प्रत्येक सहखातेदार अपने अपने हिस्से का सम्पूर्ण स्वत्व हक हकूक व अधिकार किसी को भी दान, वसीयत, हकत्याग, रहन, बेचान के माध्यम से करने के लिए स्वतंत्र है तथा विधिक रूप से ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हकत्याग जो एक सहस्वामी द्वारा किया है, को समस्त सहस्वामियों में निष्पादित व विभाजित किया जाता हो। प्रत्येक सहस्वामी अपने हिस्से का स्वतंत्र स्वामी है जो अपने हिस्से का त्याग नैसर्गिक प्रेम व स्नेह वश अपने परिवार के किसी भी सदस्य माता-पिता, भाई-बहिन, पिता-पुत्र के पक्ष में किया जा सकता है।	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
विवादित आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी की माँ पन्नीबाई को विरासत में मिली थी। पन्नीबाई की मृत्यु उपरांत यह प्रार्थी, अप्रार्थी 1 ता 4 व पिता प्रार्थी व अप्रार्थी 1 ता 4 की कल्याण के खाते 1/6 प्रत्येक का हिस्सा दर्ज हुआ। कल्याण ने अपना हिस्सा 1/6 प्रार्थी व अप्रार्थी 1, 2, 3 को हक त्याग कर दिया, अतः प्रार्थी व अप्रार्थी 1, 2, 3 के 5/6 व अप्रार्थी सं. 4 का 1/6 हिस्सा दर्ज हुआ। प्रार्थी अधिवक्ता के तर्क के आधार पर तो कल्याण द्वारा किया गया हक त्याग प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1, 2, 3 व 4 सभी पुत्रों-पुत्रि के पक्ष में होना चाहिए था। अतः प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को परेशान करने के लिए लाया गया है। अगर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई तो अप्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। उभयपक्ष बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर विद्यमान दस्तावेजों का अवलोकन किया। मामला सहदायिकी सम्पत्ति के अंतरण से संबंधित प्रतीत होता है। क्योंकि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत है कि प्रार्थी और अप्रार्थी सगे भाई-बहिन है। यह भी निर्विवाद है कि सम्पत्ति माँ से पुत्र-पुत्रियों को प्राप्त हुई है। दावे व प्रा.पत्र में प्रश्नगत तथा आक्षेपित हकत्याग तथा इसके उपरांत सहस्वामियों के हिस्से प्रभावित होने संबंधी अभिवचन किये गये है जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 15, सम्पत्ति अंतरण अधि. 1882 की धारा 5 और 122, भारतीय पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 40 के तहत विचारण उपरांत अन्तिम निर्णय का विषय है। प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में है। तथा वाद के लंबित रहने के दौरान	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	जो किस ... तामील में ...
	विवादित आराजी के खुर्द-बुर्द होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति कारित होने की संभावना है तथा सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने के कारण मूल वाद के निस्तारण तक सम्पत्ति की यथास्थिति बनाये रखना आवश्यक है। मूल वाद अधिकारों की घोषणा तथा बंटवारे से संबंधित है। अतः वाद के दौरान सम्पत्ति के खुर्द-बुर्द होने से प्रार्थी को अपरिमित क्षति कारित होने की संभावना है तथा अनावश्यक वाद बहुलता व जटिलता से असुविधा होना संभाव्य है इस प्रकार सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं करने से प्रार्थी को अधिक असुविधा होना संभावित है जबकि अप्रार्थी को केवल अपने साम्पत्तिक अधिकारों के अंतरण के अतिरिक्त अन्य हक व अधिकारों का उपयोग अबाधित रहने से उतनी असुविधा नहीं होगी। अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने से अप्रार्थी के अंतरण के अधिकार के अलावा अन्य अधिकार संरक्षित रहेंगे परन्तु प्रार्थी को मूल वाद के निस्तारण तक यथास्थिति के रूप में सुविधा का लाभ मिलेगा ताकि वाद के निर्णय उपरांत विसंगति व अस्पष्टता की स्थिति से बचा जा सके। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में होने, प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की संभावना व सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होने के कारण ग्राम शहनावदा तह. पीपल्दा स्थित खसरा नम्बर 840 रकबा 3.88 है. कृषि भूमि पर उभयपक्ष मौके तथा रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा विवादित सम्पत्ति का बेचान, दान, रहन के माध्यम से अंतरण नहीं करे तथा एक दूसरे के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत न करे स्वयं	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
	करे न ही अपने किसी प्रतिनिधि से कराये। यह अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक प्रभावी रहे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो। फैसला सरे इजलास मे सुनाया गया। [signature]	